न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 489/2016
TCMS NO. : 2016/00308

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. भागुराम पुत्र धन्नाराम जातियानगुर्जर निवासी असरलाईतहसील जैतारण।

1. विशनाराम पुत्र धन्नाराम
2. रुजा पुत्र धन्नाराम
3. पूना पुत्र धन्नाराम
4. जोधा पुत्र बींजा
5. हीरीया पुत्र बींजा
6. धर्माराम पुत्र भंवरलाल पुत्र बींजा
7. मेवाराम पुत्र भंवरलाल पुत्र बींजा
8. गुटकी पत्नी भंवरलाल पुत्र बींजा
9. रूकमा पुत्री भंवरलाल पत्नी भाणुजी
10. लक्ष्मण पुत्र जोगा पुत्र बींजा
11. उमेश पुत्र जोगा पुत्र बींजा
12. रामेश्वर पुत्र जोगा पुत्र बींजा
13. भंवराई पत्नी जोगा पुत्र बींजा
14. पेमा पुत्र बालू
15. लकिया पुत्र जयराम पुत्र बालू
16. मांगूड़ी पत्नी जयराम पुत्र बालू
    सभी जातियान गुर्जर निवासी आसरलाई तहसील जैतारण।
17. श्रीमान तहसीलदार साहब जैतारण।
18. श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी जैतारण।

राजस्व वादबाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:–25.07.2016

उपस्थित:–
1. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, वादीगण।
2. तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैराकार, राजस्थान सरकार।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:–27/07/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किसरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई में खसरा संख्या 492 रकबा 8–15 बीघा किस्म बारानी व खसरा संख्या 903 रकबा 4–11 बीघा किस्म चाही चारम भूमि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि आई हुई है। तथा मौके पर पक्षकारान् अपने अपने हिस्से पर काबिज एवं काश्त करते है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि में वादी के पिता धन्ना पुत्र हमीर का 1/3 हिस्सा आता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

ने सम्पूर्ण भूमि में वादी का 1/12 वां हिस्सा आता है परन्तु वादी के बड़े पिता ना पुत्र हमीर अपने घर में बड़े व्यक्ति एवं कर्ता था तथा वादी का पिता धन्ना व लू घर में छोटे थे इस कारण पटवारीजी एवं राजस्व कर्मचारियो की गलती से सही ांच नही की गई तथा हमीर का फौतेदगी म्युटेशन भरते समय केवल बींजा पुत्र मीर का नाम ही राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में जरिए नामान्तरणकरण दर्ज हो गया जबकि बींजा पुत्र हमीर के दो छोटे भाई धन्ना (वादी का पिता) एवं बालू का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था जो नही हुआ। जबकि मौके पर तीनो के बराबर बंट किए हुए है तथा अलग अलग फसले बोते है इसलिए बींजा के दोनो भाई धन्ना तथा बालू का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज करवाने हेतू वादपत्र प्रस्तुत है। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2017 तथा 2019 से 2020 की एवं मिसल बंदोबस्त की नकल साथ पेश है। वादी का एक अन्य खसरा नम्बर 1044 रकबा 36-06 बीघा का पैतृक खेत भी आसरलाई में आया हुआ हैं जिसमें वादी के दादा हमीर के तीनों बींजा, धन्ना, बालू का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। इसलिये खसरा नम्बर 492 व 903 में भी वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवानें हेतु यह वादपत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। वादी ने अपने हिस्से में अभी बाजरी की फसल बोई है तथा प्रतिवादीगण वादी के खेत में आये तथा ऐलानिया धमकी दी कि वादी खेत छोड़कर चले जाये क्योकिं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नहीं है इसलिये प्रतिवादीगण वादी की भूमि का बेचान विक्रय एवं हस्तान्तरण करके रहेगें तथा बैंक से ऋण भी लेकर रहेगें। इसलिये उक्त वादपत्र के जरिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना जरूरी है। यदि प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से वादी की पैतृक भूमि का बैचान विक्रय या हस्तान्तरण कर दिया या बैंक से ऋण ले लिया तो वादी अपने पैतृक हक हिस्से व अधिकारों से वंचित रह जायेगा तथा उसे असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में भी नहीं आंकी जा सकेगी। प्रतिवादी संख्या 17 व 18 श्रीमान् तहसीलदार साहब व उपपंजीयन अधिकारी जी है जो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है तथा इनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करनें से पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक है परन्तु वादपत्र आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् प्रार्थनापत्र धारा 80(2) सीपीसी का पृथक से पेश है। बिनाय दावा दिनांक 23.07.2016 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी के खेत में आकर ऐलानिया धमकी दी कि वह खेत छोड़कर चला जाये क्योकि उसका राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित नहीं है तथा वादी की भूमि कां प्रतिवादीगण बेचान विक्रय एवं हस्तान्तरण करनें की धमकी देने पर बमुकाम आसरलाई में पैदा हुआ जो श्रीमान् दीवाधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:52 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 16 को बार बार रूक-रूक कर आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी संख्या 17 तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

या जो शामिल मिसल किया गया। जवाबदावा में कथन किया गया कि वादपत्र पद संख्या 1 से 6 अस्वीकार है जिन्हे वादी स्वयं सिद्ध करे। तथा पद संख्या 7 9 कानूनी बिन्दू है। वक्त सेटलमेंट मिसल बंदोबस्त में बींजा पुत्र हमीर के नाम खातेदारी दर्ज थी, जिसमें वादी हमीर का वारिसान होने की वजह से अपना नाम चढ़वाने हेतू दावा किया है। जिसमें साक्ष्य सबूत पेश करने की जिम्मेदारी वादी की है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में साक्ष्य शपथपेश किए शामिल मिसल किए गए। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

वादपत्र का विवाद्यकवार/तनकीयातवार विवेचन निम्नानुसार है–

1.आया वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी वादी की पैतृक व पुश्तैनी कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि में वादी 1/12 वां हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है– जिम्मे वादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी, वादी द्वारा वादपत्र में यह निवेदन किया है कि ग्राम आसरलाई में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 492 रकबा 08–15 बीघा एवं खसरा संख्या 903 रकबा 04–11 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जा काश्त आराजी है। वादी वंश वंशावली के अनुसार धन्ना का पुत्र एवं हमीर का पौत्र है। हमीर के तीन पुत्र क्रमशः बींजा, धन्ना एवं बालू है। इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता धन्ना पुत्र हमीर का 1/3 हिस्सा आता है, अतः वादी का 1/12 हिस्सा आता है। लेकिन वादी के बड़े पिता बींजा पुत्र हमीर घर में बड़े व्यक्ति एवं कर्ता खानदान होने से नामान्तरण भरते समय राजस्व रेकर्ड मे केवल बींजा पुत्र हमीर का ही नाम दर्ज किया गया। जबकि बींजा पुत्र हमीर के दो छोटे भाई धन्ना एवं बालू का भी नाम दर्ज होना चाहिए था। ग्राम आसरलाई में अन्य खसरा संख्या 1044 रकबा 36–06 में बींजा धन्ना व बालू तीनो का नाम जमाबंदी में दर्ज है।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया, प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से मिसल बंदोबस्त में बींजा पुत्र हमीर के नाम खातेदारी दर्ज थी। अतः वादी के पिता का नाम छूटने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी में प्रस्तुत स्वयं वादी भागुराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.1, गवाह रतनाराम पुत्र लाबुराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.2, गवाह पूनाराम पुत्र धन्नाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.3 एवं गवाह सोहनदास पुत्र भंवरदास का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.4 प्रस्तुत कर दस्तावेजात प्रदर्श करवाए। साक्ष्य शपथ पत्र में वादी एवं गवाहान ने वादपत्र में अंकित कथनो एवं तथ्यो का समर्थन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:52 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सा. ग. आसरलाई की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2031 प्रदर्श–1 के अनुसार बंदोबस्त आराजी बींजा वल्द हमीर कौम गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज है अर्थात बंदोबस्त से हमीर के पुत्र बींजा के नाम दर्ज है न कि वादी के दादा हमीर के नाम दर्ज है। प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2016 से 2020 ग्राम आसरलाई, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2020 से 2024 ग्राम

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

सरलाई, प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2025 से 2028, प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत् 33 से 2036, प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत् 2037 से 2040, प्रदर्श–7 जमाबंदी वत् 2046 से 2049 में वादग्रस्त आराजी बींजा पुत्र हमीर के नाम दर्ज है। दर्श–9 जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में वादग्रस्त आराजी बींजा के वारिसान के नाम दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वक्त बंदोबस्त से प्रतिवादी संख्या 04 से 13 के पिता एवं दादा/ससुर बींजा के नाम तथा तत्पश्चात बींजा के वारिसान के नाम रही है। प्रदर्श–10 वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2017 के कॉलम संख्या 40 में बालू धन्ना बींजा पि. हमीर, प्रदर्श–11 खसरा गिरदावरी संवत् 2018 से 2020 में वादग्रस्त आराजी में बींजा बालू धन्ना पिसरान् हमीर द्वारा काश्त किया जाना अंकित है। इस प्रकार हालांकि वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर सेट्लमेंट के पश्चात से ही हमीर के तीनो पुत्र बालू बींजा धन्ना द्वारा काश्त किया जाना साबित होता है अर्थात वादग्रस्त आराजी तीनो भाईयो के उपयोग उपभोग मे रही है। लेकिन कब्जा मुखालपन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कोई विधिक प्रावधान नही है। तथा वादी द्वारा अन्य ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी में हमीर के तीनो पुत्रो का समान हक किस प्रकार निहित है तथा वादग्रस्त आराजी किस कारण से वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है? अतः उपर्युक्त विवाद्यक भली भांति साबित नही होने से वादी वादग्रस्त आराजी में 1/12 हिस्से के खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है। अतः यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. **आया उक्त मिसल बंदोबस्त में बींजा पुत्र हमीर के नाम खातेदारी दर्ज है जिसमें वादी अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार जुड़वाने हेतू साक्ष्य सबूत पेश करे–**

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी, हालांकि प्रतिवादी राज पैरोकार द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए है लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 खतौनी बंदोबस्त ग्राम आसरलाई संवत् 2011 से 2031 से यह भली भांति साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी वक्त बंदोबस्त से बींजा पुत्र हमीर के नाम खातेदारी दर्ज रही है। उक्त आराजी में वादी द्वारा अपने नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने एवं बतौर खातेदार अपना नाम दर्ज करवाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निःसंदेह वादी की है अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित होने से वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **अनुतोष–** विवाद्यक संख्या 01 के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है कि वादग्रस्त आराजी में भू प्रबन्ध के पश्चात हमीर के पुत्रो क्रमशः बींजा बालू एवं धन्ना का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग रहा है, तथा वादी भागुराम, धन्नाराम का पुत्र है। भू अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी बींजा के वारिसान के नाम दर्ज है। अतः प्रतिवादी संख्या 04 से 13 को इस बाबत् पाबन्द किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

धेसंगत एवं न्यायोचित होगा कि वे वादी को बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन ए वादग्रस्त आराजी से बेदखल नही करे।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवाद्यक वार विवेचन एवं निर्णयन के आलोक में यह पष्ट है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् वांछित अनुतोष खूबी साबित नही होने से अस्वीकार किया जाता है, लेकिन ग्राम आसरलाई में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 492 रकबा 08–15 बीघा एवं खसरा संख्या 903 रकबा 04–11 बीघा भू प्रबन्ध से ही हमीर के तीनो पुत्रो क्रमशः बींजा बालू एवं धन्ना के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में होने एवं वादी भागुराम, धन्नाराम का वारिसान होने से वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 से 13 को पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं या अपने प्रतिनिधि/वारिसान/नौकर–चाकर आदि से वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादग्रस्त आराजी से बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त आराजी के 1/12 भाग के उपयोग उपभोग से वंचित नही करे। वाद वादी इसी मुताबिक निर्णित किया जाकर डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ोठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

ाजस्व वाद संख्या : 489/2016

GCMS No. : 2016/00308

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. भागुराम पुत्र धन्नाराम जातियानगुर्जर निवासी असरलाईतहसील जैतारण।		1. विशनाराम पुत्र धन्नाराम 2. रुजा पुत्र धन्नाराम 3. पूना पुत्र धन्नाराम 4. जोधा पुत्र बींजा 5. हीरीया पुत्र बींजा 6. धर्माराम पुत्र भंवरलाल पुत्र बींजा 7. मेवाराम पुत्र भंवरलाल पुत्र बींजा 8. गुट्की पत्नी भंवरलाल पुत्र बींजा 9. रूकमा पुत्री भंवरलाल पत्नी भाणुजी 10. लक्ष्मण पुत्र जोगा पुत्र बींजा 11. उमेश पुत्र जोगा पुत्र बींजा 12. रामेश्वर पुत्र जोगा पुत्र बींजा 13. भंवराई पत्नी जोगा पुत्र बींजा 14. पेमा पुत्र बालू 15. लकिया पुत्र जयराम पुत्र बालू 16. मांगूडी पत्नी जयराम पुत्र बालू सभी जातियान गुर्जर निवासी आसरलाई तहसील जैतारण। 17. श्रीमान तहसीलदार साहब जैतारण। 18. श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी जैतारण।

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 489/2016

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88, 92ए,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् वांछित अनुतोष बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है, लेकिन ग्राम आसरलाई में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 492 रकबा 08–15 बीघा एवं खसरा संख्या 903 रकबा 04–11 बीघा भूमि से ही हमीर के तीनो पुत्रो क्रमशः बींजा बालू एवं धन्ना के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में होने एवं वादी भागुराम, धन्नाराम का वारिसान होने से वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 से 13 को पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं या अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2082.10.07 13:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तिनिधि/वारिसान/नौकर-चाकर आदि से वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ग्रस्त आराजी से बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त आराजी के 1/12 भाग के प्रयोग उपभोग से वंचित नही करे। वाद वादी इसी मुताबिक निर्णित किया जाकर क्री किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम ोकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। नीज .....-.....

मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **27/07/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01-	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	03-	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	06-	00	मिजानः-	-Nil-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:52 IST
Reason: SelfAttested